रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1000] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2017/अग्रहायण 23, 1939
No. 1000] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2017/ AGRAHAYANA 23, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1513(अ).—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रबड़ नियम 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 में खंड (ङ) और (च) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 33क, 33ख, 33ग और 33घ का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 33ङ के, उप नियम (1) के, खंड (क) में, "या बोर्ड के किसी अधिकारी जिनको नियम 33ख की शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम में, नियम 35 के उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियम में, नियम 39 के, उप नियम (1) में, "आवेदन करेंगे" शब्दों के स्थान पर "ऑनलाइन आवेदन करेंगे" शब्द और शब्द तथा अक्षर "प्ररूप सी", के स्थान पर "ऑनलाइन द्वारा प्ररूप सी" में शब्द व अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 39 क के,—

(क) उपनियम (1) में, "आवेदन प्रस्तुत करेंगे", शब्दों के स्थान पर "ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) में, "अनुज्ञापत्र" शब्द के स्थान पर, "ऑनलाइन अनुज्ञापत्र" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियम में, नियम 40 के, "बोर्ड को आवेदन देंगे", शब्दों के स्थान पर "बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन देंगे" शब्दों और "प्ररूप ङ", शब्द और अक्षर व आंकडों के बदले, "ऑनलाइन द्वारा प्ररूप ङ" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियम में, नियम 40 क के, "बोर्ड को आवेदन देंगे", शब्दों के स्थान पर "बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन देंगे" शब्द और "प्ररूप ई1", शब्द और अक्षर व आंकडों के स्थान पर, "ऑनलाइन द्वारा प्ररूप ई1" शब्द और अक्षर और आंकडे प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त नियम में, नियम 43 के, उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) में, "बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे", शब्द "बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. उक्त नियम में, नियम 43 क के, "कोई विवरण प्रस्तुत करेंगे", शब्द "कोई विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. उक्त नियम में, नियम 43 ख का लोप किया जाएगा।

13 उक्त नियम की प्रथम अनुसूची,—

(I) प्ररूप डी में,—

(क) क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

1. "इकाई का नाम और कार्यलय पता" तथा "दूरभाष संख्या" और "ई-मेल"........ (बडे अक्षरों में)";

(ख) क्रम संख्या 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"2. रबड़ की आवश्यकता संबंधी विशिष्टियाँ और उसके ब्यौरे ....से..............तक की अवधि के लिए

(क) वर्ष और अपेक्षा	वर्ग	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवां वर्ष
(ख) आवेदित रबड़ का परिमाण एवं इसकी अपेक्षित अवधि (लाटेक्स की दशा में सूखे रबड़ का भार दर्शाएं)						
	वर्ग			टन		
(ग) पिछले साल का वास्तविक उपभोग:						
(घ) आवेदन की तारीख में या खरीदे और मार्ग में स्थित या सुपुर्दगी के लिए प्रतीक्षित रबड़ का स्टाक						

(ग) क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"4. अन्य ब्यौरे

(क) उद्योग आधार सं.	
(ख) जीएसटी पंजीयन संख्या	
(ग) स्थायी लेखा संख्या	
(घ) स्थानीय प्राधिकार लाइसेंस संख्या व तारीख	
(ङ) अगर पहले ही बिजली संपर्क विद्यमान है तो विद्युत उपभोक्ता संख्या और बिजली संपर्क की तारीख/मंजूरी होने के बाद बिजली संपर्क की प्रतीक्षा में है तो बिजली संपर्क की प्रत्याशित तारीख;	

(घ) क्रम संख्या 11, 12, 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"11. घोषणा: मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने .... महीने तक की मासिक 'के' और 'एल' विवरणियाँ प्रस्तुत की हैं। " अंतिम वाक्य से पूर्व "मैं घोषणा करता/करती हूँ/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जनकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है ।";

(ङ) टिप्पण में,—

(i) क्रम संख्या 1 में "देय किसी उपकर" का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 में, शब्द "उपकर" के स्थान पर "भुगतान" शब्द प्रतिस्थापित होगा;

(iii) क्रम संख्या 3(ख)(i), "लघु उद्योग अथवा विक्रय, क्रय या मूल्य वर्द्धित कर रजिस्ट्रीकरण", शब्दों के स्थान पर "उद्योग आधार प्रमाणपत्र/जीएसटी पंजीयन प्रमाणपत्र/पैन कार्ड" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) प्ररूप ई में,

(क) "भारत में पंजीकृत बागानों या अनुज्ञापत्र व्यापारियों से (जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)", कोष्ठक और शब्द "भारत के एस्टेटों या अनुज्ञापत्रित व्यापारियों या संसाधकों से (जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) सारिणी में "वर्ग" शब्द से पूर्व " वर्ष", शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(III) प्ररूप एच, एच2, एच3 और के में

(क) प्रारंभिक खंड में "आगामी महीने के 20 तारीख या उसके पहले", संख्या, अक्षर एवं शब्द के स्थान पर "आगामी महीने के 15 तारीख या उसके पहले", संख्या, अक्षर एवं शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में समूह एवं वर्ग शीर्षक के अधीन,—

(i) समूह 2 में, "कट्टिंग्स नं. 1" शब्द, अक्षर और संख्या का लोप किया जाएगा;

(ii) समूह 3 में,

क. "कट्टिंग्स नं. 2" शब्द, अक्षर और संख्या के स्थान पर "आईएसएस" अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ख. आईएसएस अक्षरों के बाद "ऑफ शीट" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) समूह 4 में, "एफ ए क्यू" अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

(iv) समूह 5 में, "स्मोक्ड ब्लांकेट" और "रिमिल्ड क्रीप 2", श्ब्द और संख्या का लोप किया जाएगा;

(v) समूह 6 में, "रिमिल्ड क्रीप 3" और "रिमिल्ड क्रीप 4", श्ब्द और संख्या का लोप किया जाएगा;

(vi) समूह 7 में, "स्क्राप [शुष्क वजन]", शब्द एवं कोष्ठक का प्रतिस्थापन "फील्ड कोयागुलम [शुष्क वजन]" से किया जाएगा;

(vii) "मास्टर बैचेस" शीर्षक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(viii) "तेल मिलाए गए रबड़" शीर्षक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(IV) प्ररूप के 1 की सारणी के, स्तंभ (1) के अंदर, प्रविष्टि VI में, "वाटर प्रूफ फाब्रिक्स", "स्पंज" और "रबड़ आवृत केबल" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(V) प्ररूप एल और एल1 के, प्रारंभिक भाग में, "आगामी महीने के 20 तारीख या उसके पहले", संख्या, अक्षर एवं शब्द के स्थान पर "आगामी महीने के 15 तारीख या उसके पहले", संख्या, अक्षर एवं शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) प्ररूप एम, एन1, एन2, एन3 एवं एन4 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 8/17/2016-प्लांट-सी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र **(असाधारण)**, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i); दिनांक 1 अगस्त, 1955, पृष्ठ 1613, पर प्रकाशित किए गए थे और पश्चात् वर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा किए गए थे, अर्थात्:—

(i) सं. सा.का. नि. 1497, तारीख 27 सितंबर, 1976

(ii) सं. सा.का. नि. 553, तारीख 18 अप्रैल, 1978

(iii) सं. सा.का. नि. 163, तारीख 21 जनवरी, 1982

(iv) सं. सा.का. नि.1033(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1987

(v) सं. सा.का. नि. 716(अ), तारीख 20 जून, 1988

(vi) सं. सा.का. नि. 561(अ), तारीख 5 जुलाई, 1994

(vii) सं. सा.का. नि. 897(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2001

(viii) सं. सा.का. नि. 760(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2009

(ix) सं. सा.का. नि. 704(अ), तारीख 25 अगस्त, 2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2017

G.S.R. 1513(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Rubber Rules 1955, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called Rubber (Amendment) Rules 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rubber Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 33, clauses (e) and (f) shall be omitted.

3. In the said rules, rule 33A, 33B, 33C and 33D shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 33E, in sub-rule (1), in clause (a), the words "or any officer of the Board, to whom the powers under rule 33B have been delegated" shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 35, sub-rule (5) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 39, in sub-rule (1), for the words "apply for" the words "apply online for" and for the word and letter "Form C", the words and letter "Form C by online" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 39 A,—

(a) in sub-rule (1), for the words "apply to", the words "apply online to" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words "licence under", the words "licence online under" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 40, for the words "apply to the Board", the words "apply online to the Board" and for the word, letter and figure "Form E", the word, letter and figure "Form E by online" shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 40A, for the words "apply to the Board", the words "apply online to the Board" and for the word, letter and figure "Form E1" , the word, letter and figure "Form E1 by online" shall respectively be substituted.

10. In the said rules, in rule 43, in sub-rules (1), (2), (3) and (4), for the words "submit to the Board", the words "submit online to the Board" shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 43A, for the words "submit any statement", the words "submit online any statement" shall be substituted.

12. In the said rules, rule 43B shall be omitted.

13. In the said rules, in the First Schedule,—

(I) in Form D,—

(a) for Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1. "Name and office address of the Unit" and "Tel. No." and "E-mail"…….. (in capital letters)";

(b) for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"2. Particulars of requirement of rubber and details thereof: For the period from …….to…………..

(a) Year and Requirement	Grades	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
(b) Quantity of rubber applied for and the period for which it is required (show dry rubber weight in the case of latex)						
	Grade			Tonnes		
(c) Actual consumption during the previous year:						
(d) Stock of rubber held on the date of application or purchased and in transit or awaiting delivery."						

(c) for Sl. No. 4, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"4. OTHER PARTICULARS

(a) Udyog Adhar No.	
(b) GST Registration No.	
(c) PAN	
(d) Local Authority Licence No. & date	
(e) Electricity Consumer No. and date of power connection if power connection already exists/ expected date of power connection, if power connection is awaited after being sanctioned";	

(d) for Sl. No. 11, 12,13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"11. DECLARATION: I/We declare that I/We have submitted the monthly K and L returns upto the month of . . . ." Before the last sentence "I/We declare that the statements made above are true to the best of my/our knowledge and belief.";

(e) In the Note,—

(i) in Sl. No. 1, the words "of any cess dues" shall be omitted;

(ii) under Sl. No. 2, for the word "cess", the word "payment" shall be substituted;

(iii) in Sl. No. 3(b)(i), for the words "Small scale industries or Sales Tax or Value Added Tax Registration Certificate", the words and letters "Udyog Adhar Certificate/GST Registration Certificate/Pan Card" shall be substituted;

(II) In form E,

(a) for the brackets and words "(including imported natural rubber) from registered estates or licensed dealers in India", the words and brackets "from estates or licensed dealers or processors in India (including imported natural rubber)" shall be substituted.

(b) the word " Year", shall be inserted in the table before the word "Grade".

(III) in Forms H, H2, H3 and K,

(a) in the opening para, for the figures, letters and words "20th of the succeeding month", the figures, letters and words "15th of the succeeding month" shall be substituted;

(b) in the Table, under the heading Groups and Grades,—

(i) in Group 2, the word, letters and figure "Cuttings No. 1" shall be omitted;

(ii) in Group 3,

a. for the word, letters and figure, "Cuttings No. 2", the letters "ISS" shall be substituted;

b. the words "Off sheet" shall be inserted after the letters "ISS".

(iii) in Group 4, the letters "FAQ" shall be omitted;

(iv) in Group 5, the words and figure "Smoked blanket" and "Remilled Crepe 2", shall be omitted;

(v) in Group 6, the words and figures "Remilled Crepe 3" and "Remilled Crepe 4" shall be omitted;

(vi) in Group 7, for the words and brackets "Scrap [Dry weight]", the words and brackets "Field Coagulam [Dry weight]" shall be substituted;

(vii) the heading "Master batches" and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) the heading "Oil Extended Rubber" and the entries relating thereto shall be omitted.

(IV) in Form K1, in the Table, under column (1), in entry VI, the words "Water proofed fabrics", "Sponge" and "Rubber covered cables" shall be omitted;

(V) in Form L and L1, in the opening portion, for the figures, letter and word “20th of the succeeding month” the figures, letters and words “15th of the succeeding month” shall be substituted.

(VI) Forms M, N1, N2, N3 and N4 shall be omitted.

[F. No. 8/17/2016-Plant-C]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i); page 1613, dated the 1st August, 1955, and subsequently amended vide the following numbers, namely:—

(i) No. G.S.R. 1497, dated the 27th September, 1976

(ii) No. G.S.R. 553, dated the 18th April, 1978.

(iii) No. G.S.R. 163, dated the 21st January, 1982.

(iv) No. G.S.R. 1033(E), dated the 31st December, 1987.

(v) No. G.S.R. 716(E), dated the 20th June , 1988

(vi) No. G.S.R. 561 E, dated the 5th July, 1994.

(vii) No. G.S.R. 897(E), dated the 12th December, 2001.

(viii) No. G.S.R. 760(E), dated the 15th October, 2009.

(ix) No. G.S.R. 704(E), dated the 25th August, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.